

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-17-44/06/रा.स./यू.ए.1/1256
प्रति,

कुलपति,
रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

राजभवन भोपाल - 462052
दिनांक 05 दिसम्बर 2020

विषय - वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ।

मध्यप्रदेश क्षिविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय, जबलपुर के द्वारा डॉ० अधिकेश राय, प्राध्यापक, वाणिज्य, शा० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर को दो वर्ष की कालावधि के लिए क्षिविद्यालय के वाणिज्य संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार
सही/-
(राजेश कुमार कौल)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक/अका./2020/५५८५
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर दिनांक १५/१२/२०

1. डॉ० अधिकेश राय, प्राध्यापक, वाणिज्य, शा० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर ।
2. राज्यपाल के अपर सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय, जबलपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं क्षिविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्रावार्यगण ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीन विकास परिषद, रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय, जबलपुर ।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को क्षिविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय, जबलपुर ।

प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती क्षिविद्यालय
जबलपुर